

>

Title: Need to include Bundelkhandi language in the Eighth Schedule to the Constitution.

श्री राजनाथन बुधौलिया (हमीरपुर, उ०प्र०) : अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश के लगभग 26 जिलों में बुंदेलखंडीय भाषा बोली जाती है। बुंदेलखंड क्षेत्र चम्बल, यमुना, बेतवा, घसान, केन पांच नदियों से घिरा हुआ है। देश की आजादी में झाँसी की रानी एवं पंडित परमानन्द, दीवान शतुघन सिंह, स्वामी बृहमानन्द एवं हजारों लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। सम्पूर्ण भारतवर्ष एवं विश्व के कोने कोने में इस भाषा को जानने वाले लोग रहते हैं। यह भाषा ब्रज भाषा से मिलती जुलती है, जिस कारण यह भाषा देश के सभी क्षेत्रों में बोली जाती है। वीरगंगा महारानी लक्ष्मीबाई के चरित्र एवं वीर योद्धा आल्हा-उदल के चर्चित आल्हा काव्य में इसका बखूबी वर्णन है। इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ है कि -

बुन्देले हरबोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी

खूब लड़ी मर्दानी वह तो झाँसी वाली रानी थी।

आल्हा-उदल बड़े लड़ेया जिनसे हार गयी तलवार, आदि आदि।

एक के मारे दो मर जावें, तीसरा देख देख मर जाए।

बुंदेलखंडी फंड साहित्य विषय में स्वर्गीय डॉ० गनेशीलाल बुधौलिया ने शोध भी किया है जिसे बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त, डॉ० वृंदावन लाल वर्मा की बुंदेलखंडी भाषा में अनेकों किताबें प्रसिद्धि प्राप्त हैं। उदाहरणार्थ - बुंदेलखंड का आल्हा काव्य आज भी भारत के कोने कोने में गायता जाता है। बुंदेलखंड की वीरभूमि में आल्हा, उदल जैसे लोगों ने जन्म लिया है। यह भाषा उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश के अधिकांश क्षेत्र में प्रसिद्ध है।

अतः सदन के माध्यम से अनुरोध है कि बुंदेलखंडी भाषा को क्षेत्रीय भाषा का दर्जा प्रदान कर संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया जाये।